



# देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन,  
इन्दौर - 452 001

क्रमांक : प्रशा. तेईस(2)/2017/1574

दिनांक 23 DEC 2017


## अधिसूचना

एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि समन्वय समिति की 93 वीं बैठक दिनांक 25.10.2017 में कार्यपरिषद द्वारा अनुशासित निम्नलिखित अध्यादेशों/परिनियमों को मान्य किया है, जिसे कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 4.12.2017 को विषय क्रमांक 13 में अंगीकृत किया गया है :-

अध्यादेश/परिनियम क्रमांक	अध्यादेश/परिनियम
10(परिनियम)	परिनियम क्रमांक 10 के बिन्दु क्रमांक 08 में लाईफ लांग लर्निंग (प्रौढ शिक्षा) को शिक्षा संकाय के साथ जोडा जाना ।
परिनियम 10 एवं अध्यादेश03	अभियांत्रिकी विज्ञान संकाय के अन्तर्गत फ्यूचर स्टडी एवं प्लानिंग के स्थान पर डाटा विज्ञान करना ।
109	एम.टेक (एनर्जी एण्ड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट)
233	एमबीए (एनर्जी मैनेजमेंट)
234	पी.जी.डिप्लोमा इन एनर्जी मैनेजमेंट
253	PG Diploma programs in Distance Education
254	बी.बी.ए.
255	एम.वोक.
246	बी.वोक.
55	M. Tech. (Future Studies and Planning) के स्थान पर M. Tech. (Data Science) किया जाना ।
6	परीक्षाएँ (सामान्य)
7	महाविद्यालयों/विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों में छात्रों को प्रवेश, छात्रों का स्थानांतरण एवं अनुशासन प्रबंधन
18	पीएच.डी.
21	एम.फिल.
31	सी.बी.सी.एस./ग्रेडिंग सिस्टम यू.जी.सी रेग्युलेशन, 2016 के अनुसार संशोधन
378	M.Tech. (Systems Management) के स्थान पर M.Tech. (Big Data Analytics) किया जाना ।
201	B. A. (Journalism & Mass Communication)
256	डिप्लोमा इन लॉजिस्टिक एण्ड सप्लाय (कार्गो मैनेजमेंट)

2/ उक्त अध्यादेशों/परिनियमों की प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध की जा रही है ।

भवदीय,

  
कुलसचिव

प्रशासन-तेईस(2)/2017/1574

दिनांक :

23 DEC 2017

प्रतिलिपि :-

1. विभागाध्यक्ष समस्त अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर ।
2. समस्त अधिकारीगण, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर ।
3. कुलपतिजी के सचिव/कुलसचिवजी के निज सहायक ।  
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. विभागाध्यक्ष, आई.ई.टी. सेन्टर को इस निवेदन के साथ की कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें ।
5. निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद ।
6. उप कुलसचिव (शैक्षणिक)
7. उप कुलसचिव (परीक्षा)
8. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

  
उपकुलसचिव(प्रशा.)